

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ. 1(43) परि/स्था./2008

जयपुर, दिनांक : 24.10.2016

आदेश

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत जिला परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए सम्पन्न की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.10.2016 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित मोटर वाहन निरीक्षकों को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2015–16

- श्री राजमल मीणा (अ.ज.जा.) (सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2015)

श्री सत्यप्रकाश शर्मा एवं श्री महावीर प्रसाद पंचौली के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने से इनकी अभिशंसा बन्द लिफाफे में रखी जाकर इनके लिए एक-एक पद रिक्त रखा गया है।

वर्ष 2016–17

- श्री दयाशंकर गुप्ता
- श्री अनिल माथुर
- श्री नैन सिंह सोढा
- श्री ग्यारसी लाल मीणा (अ.ज.जा.)

श्री जितेन्द्र माथुर के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इनका चयन स्थगित किया जाकर एक पद रिक्त रखा गया है।

उपरोक्त क्र.सं. 1 से 3 पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही नवीन वेतन श्रृंखला में उपस्थिति देंगे। क्र.सं. 4 पर अंकित श्री ग्यारसी लाल मीणा को दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्ति से उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। अतः श्री मीणा दिनांक 01.03.2017 को अपनी उपस्थिति देंगे।

— Sal —
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव
जयपुर, दिनांक : 24.10.2016

क्रमांक: एफ. 1(43) परि/स्था./2008/२२८२२-८३१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)।
- समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, जयपुर।
- समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
- संबंधित कार्मिक.....।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव